



कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 50 संख्या: 178

प्रभात

कोटा, रविवार 13 अप्रैल, 2025

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

# पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की सीमा निर्धारित की

**राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना होगा कि राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये विधेयक को स्वीकार करें या अस्वीकार**

-डॉ. सतीश पिथ्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

नई दिल्ली, 12 अप्रैल। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अधूरे पूर्व कदम उठाते हुए, पहली बार यह निर्धारित कर दिया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजे गये विधेयकों पर, राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना होगा। इस अवधि की गणना विधेयक की प्राप्ति की तिथि से की जायेगी।

शीर्ष अदालत ने संविधान में प्रतिपादित देश के संघीय ढाँचे के सिद्धान्तों को परिवर्तित किये जाने को रेखांकित किया तथा कहा, “हम यह मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा पर अमल करना चाहिए सभी हैं। --- तथा यह तय करते हैं कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे गये विधेयकों पर तीन महीने की अवधि में निर्णय ले लें। इस अवधि की गणना, इन विधेयकों की प्राप्ति की तिथि से की जायेगी।”

अदालत ने कहा, “इस अवधि से अधिक समय लाने की सिंहति में, समूचित कराण संबंधित राज्य को बताने होंगे। राज्यों के लिये यही यह जरूरी होगा कि वे उन प्रस्तावों के उत्तर दें। इस कार्य में पूरा सहयोग करें, जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार के सुझावों पर शीर्ष ही विचार करें।”

- अगर, तीन मह में यह निर्णय नहीं होता है तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि इस मामले पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाये और न्यायालय से समाधान मांगे।
- ये तीन महीने उस दिन से शुरू होंगे, जिस दिन राष्ट्रपति को, राज्य सरकार से विधेयक अधिकृत रूप से प्राप्त होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में, राज्यपाल को भी प्रतिबंधित किया है कि जब विधानसभा से पारित विधेयक उनके पास आता है, उस दिन से तीन महीने में राज्यपाल को विधेयक के बारे में निर्णय लेना होगा।
- अगर, दूसरी बार विधानसभा विधेयक को पारित करके राज्यपाल को भेजे तो राज्यपाल के पास यह विकल्प नहीं होगा कि वे विधेयक को राष्ट्रपति को भेजने में विलम्ब करें।
- सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि उनके इस निर्णय की प्रतिलिपि सभी हाई कोर्ट को व राज्यपालों के प्रमुख सचिवों को भेजें।

सरकार द्वारा उत्तर देये गये हैं तथा राज्य, अदालत ने साफ-साफ शब्दों में केन्द्र सरकार के सुझावों पर शीर्ष ही विचार कराने को राज्यपाल किसी विधेयक को, राष्ट्रपति के विचारार्थ, अपने पास

आवश्यक रूप से रख लेते हैं तथा राष्ट्रपति इसके बदले में अपनी सम्मति एवं सहमति रोक लेते हैं, तो राज्य के राज्यपाल इस प्रकार की कार्यवाही को अदालत की जानकारी में लाने के लिये स्वतंत्र होंगे।

अदालत ने कहा, “जो विधेयक राज्यपाल के पास जरूरत से ज्ञाता समय तक लम्बित हों, तथा राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को आवश्यक रखने में नेकानीयता के स्पष्ट अभाव से काम लिया हो, जैसा कि इस अदालत की जानकारी में लाने के लिये स्वतंत्र होंगे।”

अदालत ने कहा, “जो विधेयक राज्यपाल को भेजे तो राज्यपाल के पास यह विकल्प नहीं होगा कि वे विधेयक को राष्ट्रपति को भेजने में विलम्ब करें।

■ सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि उनके इस निर्णय की प्रतिलिपि सभी हाई कोर्ट को व राज्यपालों के प्रमुख सचिवों को भेजें।

सरकार द्वारा उत्तर देये गये हैं तथा राज्य, अदालत ने साफ-साफ शब्दों में केन्द्र सरकार के सुझावों पर शीर्ष ही विचार कराने को राज्यपाल किसी विधेयक को, राष्ट्रपति के विचारार्थ, अपने पास

कहा, “जहां राज्यपाल किसी विधेयक को, राष्ट्रपति के विचारार्थ, अपने पास

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अदालती आदेश के बाद भी बकाया का भुगतान क्यों नहीं हुआ?

जयपुर, 12 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजी की जाती है। अदालत ने विश्वास सचिव को 21 अप्रैल को व्यावधान रूप से पेश होकर जवाब देने को कहा है। अदालत ने विश्वास सचिव से पूछा है कि अदालती आदेश के बाबजूद याचिकाकार्ता का बकाया भुगतान क्यों नहीं किया गया।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि अदालती आदेश की पालना हो जाती है तो विश्वास सचिव को हाजिर होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की फ़ालीपीठ पर यह आदेश कृष्ण अवतार गुता की ओर से दायर याचिका पर नुसन्वाइ करते हुए दिया।

■ हाई कोर्ट ने विश्वास सचिव को 21 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिये।

याचिका में अधिवक्ता त्रिपुरुष अदालती आदेश की पालना नहीं किया गया है और विवरकरता जितेन्द्र पूर्ण सिंह और उनके बाबजूद याचिकाकार्ता विश्वास की बाबजूद राज्यपाल के दुरुपयोग पर जबरदस्त नारजीगी व्यक्त की।

बैंगल ने अपने निर्णय में कहा, “संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल द्वारा अपना कार्य सम्प्रभाव करने के लिये विधेयक उनके समय सीमा नहीं की गई है। कोई निर्धारित समय सीमा नहीं की गई है। कोई निर्धारित समय सीमा नहीं की गई है।” अदालत ने राज्यपाल के दुरुपयोग पर जबरदस्त नारजीगी व्यक्त की।

बैंगल ने अपने निर्णय में कहा, “जो विधेयक राज्यपाल के विचारार्थ, अपने पास

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

**वोट बैंक पर आधारित राजनीति अब भारी पड़ रही है ममता बनर्जी को**

**वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में बंगाल के सीमांत जिलों में, विशेषकर मुर्शिदाबाद व मालदा में भारी दंगे, तीन व्यक्ति मारे गये**

-अंजन रांय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

अंजन रांय, 12 अप्रैल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपने विश्वास स्पार्क ने यह आदेश कृष्ण अवतार गुता की ओर से दायर याचिका पर नुसन्वाइ करते हुए दिया।

■ हाई कोर्ट ने विश्वास सचिव को 21 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिये।

याचिका में अधिवक्ता त्रिपुरुष अदालती आदेश की पालना नहीं किया गया है और विवरकरता जितेन्द्र पूर्ण सिंह और उनके बाबजूद याचिकाकार्ता विश्वास की बाबजूद राज्यपाल के दुरुपयोग पर जबरदस्त नारजीगी व्यक्त की।

बैंगल ने अपने निर्णय में कहा, “जो विधेयक राज्यपाल के विचारार्थ, अपने पास

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ कोलकाता हाई कोर्ट ने तुरन्त केन्द्रीय रक्षा बल तैनात करने की बात कही, दंगाइयों पर नियन्त्रण करने के लिये।

■ पुलिस वाहन जलाये गये तथा पुलिसकर्मियों पर खुलकर आक्रमण हुए।

■ लगातार अल्पसंख्यक वोट को पुचाकार कर रखने की नीति से दंगाइ बेफिक हुए। भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा पर तारबंदी के कई प्रयास हुए, पर, तृणमूल कांग्रेस के बाबूबलियों ने ऐसे सभी प्रयास विफल कर दिये और अब सीमा पार से बांग्लादेश के जिहादी तत्व भी दंगा फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

■ वक्फ संशोधन विधेयक का देश में कई स्थानों पर विरोध हो रहा है, पर, इतनी हिंसा, तोड़-फोड़, आगजनी व पुलिस पर आक्रमण की घटनाएं और कहीं नहीं हुई।

■ पर, अभी भी बंगाल की सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर सख्त कार्यवाही से बच रही है।

■ पर, अब कहीं पुलिस में ही विद्रोह शुरू न हो जाए? अपील की है, जिसके लिए राज्य के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ई.डी. ने सोनिया गांधी व राहुल गांधी को नोटिस दिया

ई.डी. के नोटिस का मन्तव्य है, नैशनल हैरल्ड को, जिसकी कीमत 661 करोड़ रुपए आंकी गई, को अधिग्रहित करना

- ई.डी. का कहना है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कि नैशनल हैरल्ड प्रकाशन का मालिक है, में सोनिया गांधी व राहुल गांधी के 38-38 प्रतिशत शेयर हैं।
- ई.डी. ने नवम्बर 2023 में एसोसिएटेड जर्नल्स की सम्पत्ति अटैच की थी, मनी लॉण्डरिंग के में राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे गये हैं।
- ई.डी. ने यह नोटिस नई दिल